न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः—143 / 2019 — दर्ज दिनांक 01.07.2019

सी सी एम एस न0 2019 / 00307 — निर्णय दिनांक 27.01.2023

1. दुलाराम उम्र 67 वर्ष पुत्र बहादुर जाति माली निवासी कुंआ ज्योस्यावाली तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदक

बनाम

1. सुरेश उम्र 35 वर्ष पुत्र जगुराम
2. जगुराम उम्र 65 वर्ष पुत्र बहादुर

| समस्त जाति माली निवासीगण कुआ ज्योस्यावाली ग्राम दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना—पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 27.01.2023

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी दुलाराम बनाम सुरेश आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी—पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम दीपपुरा ककी सरहद में भूमि खसरा न. 423, 424, 426, 427 कुल रकबा 1.9700 है0 अवस्थित है। जिसके सहखातेदार राजस्व अभिलेख के अनुसार आवेदक व अनावेदक संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 है। राजस्व रिकॉर्ड बाबत् कोई विवाद नहीं है, उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में अंकित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख शामलाती है जिसके कारण से हर खातेदार को अपनी भूमि में आवश्यक सुधार करने ऋण लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए आवेदक अपने हक व हिस्से की भूमि का मौखिक विभाजन के अनसार रास्ते कायम करवाते हुए अलग—अलग खाता व लगान कायम करवाना चाहता है जिस हेतु अनावेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 दिनांक 17.06. 2019 से एकदम से इनकार है उक्त हेतु प्रार्थना पत्र सेवामें पेश है। अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा धमकी देने पर आवेदक ने दिनांक 25.06.2019 को पुनः सम्पर्क किया तथा वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करवाकर ऐसा नहीं करने का निवेदन किया लेकिन उन्होंने दिनांक 25.06.2019 को धमकी दी है कि उनके पास लाठियां है तथा राजनैतिक संरक्षण के आधार पर आवेदक के मौखिक विभाजन के अनुसार कब्जे की भूमि को भाग विशेष का निर्माण करेंगे। विक्रय करेंगे तथा आवेदक को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेखदल करने व मौके पर मारमार करने शांति भंग करने अपने निम्न स्तर की कार्यवाही में सफल होंगे चूंकि आवेदक शांतिप्रिय आदमी है इसलिए कानून की शरण में आकर यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधज्ञा सेवामें पेश है। यह कि अनावेदक संख्या 1 व 2 की उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अनुमति अनाधिकृत व गैर कूननी है जिसके सफल होने पर आवेदक को असीम क्षति कारित होगी, उन्हें अपने सह खातेदारों व कब्जे की भूमि से महरूम होना पड़ेगा जिसके कारण से उसको अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने से महरूम होने पर उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उठ खड़ी होगी। उक्त आधार पर उनकी अनाधिकृत कार्यवाही को रूकवाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सेवा में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम दीपपुरा की सरहद में भूमि खसरा [illegible] 423, 424, [illegible] कुल किता 4 का कुल रकबा 1. 9700 है0 का विधिवत विभाजन किये जाने तक आवेदक को [illegible] करेंगे, निर्माण करके भूमि को वेस्ट व डेमेज नहीं करे अन्यथा बिना विभाजन [illegible] नहीं करें ऐसा कृत्य तो अनावेदकगण स्वयंकरें तथा ना ही अपने किसी नौकर चाकर रिश्ते [illegible] मुख्त्यार [illegible] आदि से कराए तथा तादौराने वाद मौके व रिकॉर्ड [illegible]। प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible]कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जबाबदावा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का चरण कम 1 अस्वीकार है। आवेदक मनगढंत आधारों पर प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र का चरण कम 3 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है, उक्त अराजीयात का मौके विभाजन कर सभी टिनेन्ट अपनी–अपनी अराजीयात को काश्त करते हैं। प्रार्थना का चरण कम 4 अस्वीकार है मौके पर अपनी–अपनी सोलियत अनुसार विभाजन कर कब्जा काश्त है। मौके पर जवाबदेहन्दा गण ने किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया है। जवाबदेहन्दागण ने अपने अतिरिक्त कथन में बताया कि उक्त भूमि में अनावेदकगण का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है आवेदक तथा अनावेदक सह खातेदार काश्तकार है इसलिए सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती। अनावेदक संख्या 1 लगायत 2 ने मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है ना ही भूमि की कोई किश्म परिवर्तन की है इसलिए वेग आधारों पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खेर्च के खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि आवेदक तथा अनावेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 उक्त भूमि के सहखातेदार हैं। अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 का पुत्र है। उक्त भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की पैत्रिक भूमि है उनके मध्य प्रस्तुत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है लेकिन मौके पर मौखिक विभाजन है। विधिवत विभाजन के अभाव में सीमाओं पर अक्सर विवाद बना रहता है। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख शामलाती है जिसके कारण से हर खातेदार को अपनी भूमि में आवश्यक सुधार करने ऋण आदि लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए आवेदक अपने हक व हिस्से की भूमि का मौखिक विभाजन के अनुसार रास्ते कायम करवाते हुए अलग–अलग खाता विभाजन व लगान कायम करवाना चाहता है जिस हेतु अनावेदक संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 दिनांक 17.06.2019 से एकदम से इन्कार है, अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अनावेदक संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अनावेदकगण का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आवेदक और अनावेदक सहखातेदार काश्तकार है तथा अनावेदक ने कोई भूमि किस्म परिवर्तन नहीं की इसलिए आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम दीपपुरा की सरहद में भूमि खसरा न. 423, 424, 426, 427 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9700 है0 मे मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

27/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक को 27.01.2023 को मेरे द्वारा आज्ञा से लिखित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी